कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

उत्तर प्रदेश स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, गाजियाबाद।
H.No.-36 Surya Nagar, Near State Bank Colony, Delhi Road Saharanpur
GSTIN-09AAACU1932C9ZH

NIT NO: - 37/EE/SRE/E-TENDER/2026-27 **DATE:- 13.05.2026**

NAME OF WORK:- Under Vidhayak Nidhi Yojna (Shri Umar Ali Khan ji, MLA) Construction of CC Road & Drain work From Momina house to Yogesh Saini son of Shyam Singh house at Vill Kamalpur Block Muzaffarabad, District- Saharanpur.

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

श्री उमर अली खॉन जी, मा0 विधायक विधान सभा क्षेत्र–बेहट की निधि के अन्तर्गत **जनपद सहारनपुर के ग्राम कमालपुर में मोमिना के घर से योगेश सैनी पुत्र श्याम सिंह के घर की ओर तक सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कार्य** (संलग्न–विवरण/बी0ओ0क्यू0) (निविदा धनराशि रू0 **6,69,576.00**) को पूर्ण कराये जाने हेतु ई–टेण्डर प्रक्रिया के अन्तर्गत निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसका विवरण Website https://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है। इस कार्य से सम्बन्धित किसी प्रकार की परिवर्तन आदि की सूचना उपरोक्त वेब साइट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

इस कार्य से सम्बन्धित **नियम व शर्ते** निम्नानुसार है:–

1. टेण्डर शुल्क — रू0 1400.00 + 18% GST = रू0 1652.00
2. अर्नेष्ट मनी — रू0 14,000.00
3. निविदादाता को यू0पी0सिडको से रजिस्टर्ड "E & D" श्रेणी सहारनपुर इकाई एवं अधिक श्रेणी का प्रमाण पत्र निर्गत हो, निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा।
4. ई–पोर्टल पर अपलोड हुई निविदाओं का नियम व शर्तो के अनुसार प्रपत्रों का मिलान किया जायेगा।
5. नियम व शर्तों को पूर्ण करने वाले निविदादाताओं/फर्मों की ही फाइनेंशियल बिड खोली जायेगी।
6. कार्य पूर्ण करने की अवधि कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 03 माह एवं द्वितीय किश्त ग्राहक विभाग से प्राप्त होने पर प्रत्येक दशा में 01 माह में पूर्ण करना होगा। कार्य पूर्ण न करने की दशा में धरोहर राशि (Earnest money) को जब्त कर लिया जायेगा।
7. निविदादाता को अंकित टेण्डर फीस/धरोहर धनराशि निगम के खुले Bank Account No 499102010037028 IFS Code UBIN0549916, UNION BANK OF INDIA, New Avas Vikas Colony Saharanpur में RTGS कराते हुये खातें में अन्तरित कराने की रसीद की छायाप्रति निविदा के साथ अपलोड करनी होगी।
8. सशर्त निविदायें मान्य नहीं होंगी।
9. निगम में पंजीकृत निविदादाता ही निविदा में प्रतिभाग करने हेतु पात्र होगें।
10. उक्त निविदा लागत में जी0एस0टी0 सम्मिलित नहीं है।
11. बिना कोई कारण बताये निविदा निरस्त करने एवं किसी भी प्रकार का संशोधन आदि करने का पूर्ण अधिकार निगम के सक्षम अधिकारी को होगा।
12. निविदादाता द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना पत्र, तकनीकी बिड से सम्बन्धित प्रपत्र (नियम व शर्तो), निगम में पंजीयन प्रमाण–पत्र, जी0एस0टी0 नं0, पैन कार्ड, आधार कार्ड, चरित्र प्रमाण

(मूलचन्द्र)
सहायक लेखाधिकारी

विनोद कुमार कर्दम
अधिशासी अभियन्ता

पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, कार्य करने का अनुभव एवं श्रम विभाग पंजीकरण आदि वांछित प्रपत्रों की स्वप्रमाणित प्रति निविदा के साथ अपलोड करनी होगी।

13. फर्म/ठेकेदार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 का औसत टर्न ओवर निविदा की कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिक होना चाहिए। इसके साक्ष्य के रूप में टर्न ओवर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत/अपलोड करना होगा जो कि चार्टेड एकाउण्टेण्ट (CA) (वैध UDIN No. सहित) एवं फर्म की मोहर के साथ स्वप्रमाणित कर प्रमाणित होना चाहिए।
14. विगत तीन वर्षों (वित्तीय वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25) की आयकर रिटर्न/बैलेन्स शीट सी0ए0 सर्टिफिकेट वर्षवार टर्नओवर सहित फर्म की मोहर के साथ स्वप्रमाणित कर निविदा के साथ अपलोड की जानी है। फर्म विगत दो वर्षों में लाभ की स्थिति में होनी चाहिए।
15. निविदादाता को Litigation History (यदि कोई हो) संलग्न प्रारूप पर भरकर निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा।
16. निविदादाता को वांछित समस्त प्रपत्रों की हार्ड कापी मांगे जाने पर कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
17. निविदा खोलने की प्रक्रिया तीन चरणों में पूर्ण की जायेगी।
    1. प्रथम जमा निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि की पुष्टि होने पर ही तकनीकी बिड खोली जायेगी।
    2. द्वितीय निविदादाताओं की तकनीकी बिड़ में अपलोड प्रपत्रों की निविदानुसार जाँच की जायेगी तथा सफल निविदादाताओं की सूची बनाते हुये प्राईस बिड खोलने हेतु संस्तुति की जायेगी।
18. यदि सफल निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य से कम दरें उद्धरण की जाती है तो शासनादेश सं0 622/23/12-2012-2 Audit/08 T.C.-2 Dt. 08.06.2012 of UPPWD- Anubhag 12 द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में निम्नानुसार अतिरिक्त जमानत धनराशि FDR/DD किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, अथवा शैड्यूल बैंक IDBI/HDFC/ICICI के रूप में जमा करानी होगी:-
    (i) 0.50% per 1.00% below up to 10% of BOQ Cost.
    (ii) 1.00% per 1.00% below, more than 10% of BOQ Cost.
19. सशर्त निविदायें मान्य नहीं होगी।

(मूलचन्द्र)
सहायक लेखाधिकारी

अधिशासी अभियन्ता
यूपीसिडको
सहारनपुर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

उत्तर प्रदेश स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, इकाई– सहारनपुर

NIT NO: - 37/EE/SRE/E-TENDER/2026-27 **DATE:- 13.05.2026**

NAME OF WORK:- Under Vidhayak Nidhi Yojna (Shri Umar Ali Khan ji, MLA) Construction of CC Road & Drain work From Momina house to Yogesh Saini son of Shyam Singh house at Vill Kamalpur Block Muzaffarabad, District- Saharanpur.

तकनीकी बिड (नियम व शर्ते)

1. निविदा प्रपत्र बेबसाईट https://etender.up.nic.in पर देखे जा सकते है। निविदा डाऊनलोड एवं अपलोड भी इसी बेब साईट से किया जायेगा। इच्छुक ठेकेदार/फर्म नियमित रूप से उक्त् बेबसाईट का संज्ञान लेते रहे, क्योंकि प्रश्नगत् निविदाओं के सम्बन्ध में परिवर्तन अथवा अन्य सूचना बेबसाईट पर उपलब्ध कराई जायेगी।
2. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध गठन हेतु रु0 100.00 के नान ज्यूडिशियल स्टैम्प पेपर पर निगम द्वारा समय–समय पर जारी नियम व शर्तो के अनुसार अनुबन्ध करना होगा व भुगतान हेतु अनुमन्य बिलों की धनराशि का 5% जमानत धनराशि के रूप में कटौती की जायेगी जो कि कार्य संतोषजनक पूर्ण होने के 12 माह के पश्चात अवमुक्त की जायेगी।
3. कार्य की मात्रा अनुबन्ध की मात्रा से आवश्यकतानुसार कम या अधिक की जा सकती है।
4. परियोजना के 01 वर्ष तक देखरेख/रख रखाव का उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार का होगा।
5. ठेकेदार के प्रत्येक रनिंग बिल से कार्यवार 5% की जमानती धनराशि काटी जायेगी जिसे निर्माण कार्य ग्राहक विभाग को हस्तांतरित होने के एक वर्ष एवं सोलर लाईट की 05 वर्ष की कम्प्रीहैन्सिव वारण्टी के पश्चात (जिसे डिफेक्ट लाईबिलिटी पीरियड कहा जायेगा), अवमुक्त किया जायेगा। डिफेक्ट लाईबिलिटी अवधि में कार्य में किसी भी प्रकार की कमी आने पर उसका निराकरण ठेकेदार द्वारा अपने व्यय पर किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में आने वाली समस्त कमियों का निराकरण एवं अनुरक्षण एक सप्ताह के अन्दर कराया जायेगा अन्यथा उक्त कार्य को निगम द्वारा स्वयं सम्पादित कराकर आने वाले व्यय की वसूली ठेकेदार की जमा सिक्योरिटी धनराशि से कर ली जायेगी।
6. उपरोक्त बी0ओ0क्यू0 में 5% सुपरविजन चार्ज प्रत्येक रनिंग बिलों से काटा जायेगा।
7. ठेकेदार/फर्म को जी0एस0टी0 में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा, जिसकी अध्यावदिक प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न की जानी आवश्यक है।
8. निर्धारित समयावधि में यदि निविदादाता कार्य पूर्ण नहीं करता है, तो निगम निविदा में भागीदार किसी अन्य फर्म जिसने निविदा शर्तों का पालन किया हो, से निर्माण कराये जाने हेतु स्वतन्त्र होगा, उक्त् पर यदि अतिरिक्त व्यय का भुगतान किया जाना होगा तो उसे निविदादाता की जमानत धनराशि से किया जायेगा।
9. निविदादाता को कार्य संतोषजनक पाये जाने के उपरान्त ही भुगतान किया जायेगा। निविदादाता को ई–प्रकाशन व अनुबन्ध में दी गयी सभी शर्तों का पालन करना होगा। सशर्त निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
10. निविदादाता के निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित निविदादाता सक्रिय भू–माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक

(मूलचन्द्र)
सहायक लेखाधिकारी

विनोद कुमार कर्दम
अधिशासी अभियन्ता

गातिविधियों में लिप्त है तो उसे प्रदान किया गया कार्य आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। इससे किसी भी क्षति की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

11. निविदादाता के द्वारा निविदा के अन्तर्गत अनिवार्य प्रपत्र ऑनलाइन अपलोड किये जायेंगे। अपलोड निविदा का मिलान होने पर ही अग्रिम कार्यवाही हेतु, निविदा पर विचार किया जायेगा।
12. ठेकेदार/फर्म द्वारा समस्त निर्माण कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुपालन में निर्धारित अनुमोदित, विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जायेगें।
13. कार्यस्थल पर निर्माण कार्य हेतु अस्थायी जल एवं विद्युत की व्यवस्था ठेकेदार/फर्म द्वारा अपने व्यय पर की जायेगी।
14. ठेकेदार/फर्म द्वारा उक्त निर्माण कार्यो को कराये जाने के दौरान अथवा कार्य पूर्ण होने के पश्चात उसकी जांच ग्राम्य विकास अभिकरण/टी0ए0सी0 अथवा अन्य किसी संस्था/विभागीय अधिकारी से कराये जाने के पश्चात कार्यो में यदि कोई कमी प्रकाश में आती है तो उसका निदान ठेकेदार/फर्म को अपने व्यय पर एक सप्ताह में करना होगा, जिसकी प्रतिपूर्ति निगम द्वारा नहीं की जायेगी। यदि उक्त जांच के फलस्वरूप किसी धनराशि की कटौती हेतु संस्तुति की जाती है तो उसकी प्रतिपूर्ति ठेकेदार/फर्म के बिल/जमानत धनराशि से निगम द्वारा की जायेगी।
15. ठेकेदार/फर्म द्वारा लेबर मद हेतु श्रम विभाग में पंजीकरण कराते हुए समस्त राजकीय/केन्द्रीय नियमों एवं कानूनों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करना होगा। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही हेतु ठेकेदार/फर्म पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।
16. स्वीकृत/प्राप्त धनराशि में नियमानुसार देय सभी करो आदि की कटौतियॉ करने के उपरान्त अवशेष धनराशि की सीमा तक ही भुगतान किया जायेगा।
17. बिल ऑफ क्वांटिटी में विभिन्न मदों में दर्शायी गयी मात्रा अनुमानित है तथा कार्य सम्पादन के समय किसी भी आइटम की मात्रा में किसी भी सीमा तक संशोधन हो सकता है या कोई कार्य नहीं सम्पादित कराये जाने का भी निर्णय लिया जा सकता है। औचित्यपूर्ण कारण होने पर कार्य पूर्ण करने की अवधि अधीक्षण अभियन्ता द्वारा संशोधित की जा सकती है।
18. कार्य का भुगतान सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म द्वारा जीएसटी बिल प्रस्तुत करने व जॉच करने के उपरान्त उपलब्ध धनराशि की सीमा तक भुगतान किया जायेगा व ग्राहक विभाग द्वारा समय–समय पर जारी सभी निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करना होगा।
19. निगम एवं ठेकेदार/फर्म के मध्य किसी प्रकार के विवाद की दशा में अधीक्षण अभियन्ता, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड़ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, सहारनपुर का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
20. निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदार/फर्म के किसी कार्य से निगम को अन्य किसी प्रकार से हानि पहुॅचती है तो उस क्षति/हानि को वहन करने का दायित्व ठेकेदार/फर्म का होगा। जिसकी वसूली ठेकेदार के बिल/जमानत धनराशि से निगम द्वारा की जायेगी।
21. सिविल कार्य हेतु निविदादाता द्वारा खनन सामग्रियों की रायल्टी भुगतान की रसीद (प्रपत्र एम0एम0 11 अथवा शासन द्वारा जारी अन्य विधिक प्रपत्र) बिल के साथ उपलब्ध करवानी होगी। विभाग द्वारा उक्त् खनिज मात्रा के सापेक्ष देय रायल्टी की कटौती कर विभाग के खाते में संरक्षित कर ली जायेगी। तत्पश्चात ठेकेदार द्वार प्रस्तुत प्रपत्रों का सत्यापन खनन विभाग की वेब साईट से कराये जाने के उपरान्त परिवहन प्रपत्र वैध/सही पाये जाने पर ठेकेदार के

(मूलचन्द्र)
सहायक लेखाधिकारी

विनोद कुमार कर्दम
अधिशासी अभियन्ता

बिल से की गयी कटौती की धनराशि उसे वापस की दी जायेगी। परिवहन प्रपत्र के अवैध/त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर काटी गयी रायल्टी की धनराशि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के लेखाशीषर्क में जमा करायी जायेगी तथा ठेकेदार के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

22. निविदा प्रपत्र की सभी शर्ते मान्य होगी यदि कोई शर्त पूर्ण नहीं की जाती है तो वह निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

23. ठेकेदार द्वारा यदि निर्माण कार्य को उचित कार्य कुशलता के साथ न करने पर, घटिया निर्माण साम्रगी प्रयोग करने पर तथा निर्धारित समय में कार्य पूर्ण न करने पर कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति प्रभावित होती है तो निगम मुख्यालय के आदेश सं0 4231/7–5(4)/ई–निविदा/सामान्य आदेश/2025–26 दिनांक 24.09.2025 के अनुसार कार्यवाही करते हुये डिबार/ब्लैकलिस्ट की कार्यवाही की जायेगी।

24. सफल निविदादाता को निविदा मूल्य का 5% परफोरमेन्स गारण्टी के रूप में जमा कराना होगा। जो बैंक गारण्टी/एफ0डी0आर0/डिमाण्ड ड्राफ्ट किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शैड्यूल बैंक IDBI/HDFC/ICICI का ही मान्य होगा।

25. कार्य की प्रगति के समय कार्यस्थल पर किसी प्रकार के विवाद होने अथवा इस स्थिति में कार्य पूर्ण न होने की दशा में कार्यस्थल पर फर्म द्वाराव्यय की गयी धनराशि का उत्तरदायित्व सम्बन्धित फर्म होगा।

अधिशासी अभियन्ता
यूपीसिडको
सहारनपुर

मैने उपरोक्त शर्तों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा इस आधार पर मैं कार्य करने हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

(मूलचन्द्र)
सहायक लेखाधिकारी

निविदादाता के हस्ताक्षर

LITIGATION HISTORY

(ON THE LETTER HEAD OF APPLICANT)

S. No.	Name of Work	Client	Type of case (Court case/ Arbitration case)	Date of registering of case	Name & Address of Court / Arbitrator	Amount involved	Present Status	Remarks (if any)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Signature of Applicant

With seal

Note: Applicant has to submit the details of last 5 years in respect of Court cases /Arbitration cases.

(मूलचन्द्र)
सहायक लेखाधिकारी

विनोद कुमार कर्दम
अधिशासी अभियन्ता

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत (श्री उमर अली खान जी, मा0 विधायक, विधान सभा क्षेत्र बेहट) ग्राम कमालपुर ब्लाक मु0बाद में मोमना के घर से योगेश सैनी पुत्र श्याम सिंह के घर की ओर सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कार्य।

B. O. Q. FOR TENDER

SL. No	Particulars	Qty	Unit	Rate	Amount
1	Construction of embankment with approved material obtained from borrow pits with a lift upto 1.5 m, transporting to site, spreading, grading to required slope and compacting to meet requirement of Tables 300.1 and 300.2 with a lead upto 1000 m as per technical specification clause 301.5	150.15	CUM	192.85	28956.43
2	**PCC M-10(Nominal mix 1:3:6)** Providing concrete for Plain/reinforced concrete in open foundation complete as per drawings and technical specification Clause 802,803,1202 & 1203	7.98	CUM	5514.75	44007.71
3	**Brick Work 1:4 Cement Mortar** : Brick masonry work in cement mortar substructure complete excepting pointing and plastering, as per drawing and technical specification Clauses 602, 603, 604, 1202 & 1204	9.66	CUM	5639.20	54474.67
4	Plastering with cement mortar 1:4, 12 mm thick on brickwork in substructure as per technical specification Clauses 613.4 & 1204	70.00	SQM	173.85	12169.50
5	PCC M-20(Nominal mix 1:2:4) Providing concrete for Plain/reinforced concrete in open foundation complete as per drawings and technical specification Clause 802,803,1202 & 1203	3.71	CUM	5863.40	21753.21
6	Construction of granular sub base (GSB) by providing well graded material, spreading in uniform layers with motor grader/tractor mounted appropriate equipment on prepared surface, mixing by mix in place method with rotavator at OMC, and compacting with smooth wheel rollar to achieve the desired density, complete as per Technical Specification Clause 401. (For Grading I Material).	39.41	CUM	1826.85	71996.16
7	Cement Concrete with 2 cm gauge approved stone grit, course sand & cement in proportion of 1:1.5:3 in CC Pavement (Thickness as Design) with 43 grade cement or any other type as per clause 1501.2.2, course & fine Aggregates confirming to IS : 383, maximum size of coarse aggregate not exceeding 25 mm, mixed in a concrete mixer of not less than 0.2 cum capacity and appropriate wiegh batcher using approved mix design, laid in approved fixed side formwork as (steel channel, laying and fixing of 125 micron thick polythene film, wedges, steel plates i/c leveling the formwork as per drawing), spreading the concrete with shovels, rakes, compacted using needle, and plate vibrators and finished in continuous operation i/c provision of contraction and expansion joints , admixtures as approved, curing of concrete slabs for 14 days.	59.12	CUM	6734.55	398146.60
8	**R.C.C. Nominal mix (1:1.5:3)** Providing concrete for Plain/reinforced concrete in open foundation complete as per drawings and technical specification Clause 802,803,1202 & 1203	2.59	CUM	6767.80	17528.60
9	**Steel Fe-415:** Supplying, fitting and placing TMT bar reinforcement (Fe 415) in substructure complete as per drawings and technical specification clauses 1002, 1005, 1010 & 1202	2.54	Kg	6476.15	16458.49
10	supply and fixing of sign board i/c supply of all material, labour, tools etc required proper completion of the work.	1.00	No.	4085.00	4085.00
				TOTAL	**669576.00**

अवर अभियन्ता
यू.पी. स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन लि०, सहारनपुर

Assistant Engineer
U.P. SCIDCO
SAHARANPUR

अधिशासी अभियन्ता
यू.पी. स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन लि०, सहारनपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by VINOD KUMAR KARDAM
Date: 2026.05.14 14:37:44 IST
Location: Uttar Pradesh-UP